कार्यालय प्राचार्य
OFFICE OF THE PRINCIPAL
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर (जिला–बस्तर)
Govt. Kaktiya Post Graduate College, Jagdalpur (Dist-Bastar)

Coll. Code- 2201 ☎ Phone & Fax - 07782-229340, Email-kpgcjdp@gmail.com Website-www.gkpgcjdp.in

क्रमांक / स्था / अ.व्या. / 2025 /594 जगदलपुर, दिनांक 28 / 07 / 2025

/ / अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन / /

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रमांक / 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. / एफ 3–54 / स्था / 2020 / 38–1 / दिनांक 20.06.2024 के अनुसार शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में विभिन्न विषयों के अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि क्रीडाधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज **के साथ आवेदन दिनांक 06.08.2025 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं।** निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

टीप : पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन क्र. / 390 / दिनांक 18.06.2025 में आवेदन किये आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है किंतु कोई आवेदक जिन्होंने पूर्व में इस कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया है एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई अभिलेख जमा करना हो तो संशोधित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडाधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र / छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की

व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3. आयु सीमा – अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय एवं पदों का विवरण

क.	विषय	रिक्त पद की संख्या
1	रसायन विज्ञान	01
2	भौतिक विज्ञान	02
3	भूविज्ञान	02
4	वनस्पति विज्ञान	01
5	गणित	03
6	राजनीति विज्ञान	01
7	अंग्रेजी	01
8	संस्कृत	01
9	मनोविज्ञान	01
10	वानिकी	01
11	सूचना प्रौद्योगिकी	01
12	विधि	02
13	क्रीडाधिकारी (अतिथि)	01
14	ग्रंथपाल (अतिथि)	01

रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।

टीप : संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेटर/नेट, एम.फिल/पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक 06.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर** आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रकिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मूरिट सूची तैयार की जायेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की **पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 13.08.2025** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार **अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 16.08.2025 तक होगी।**
6. **अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18.08.2025 को किया जायेगा जिसका** अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही

अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।
10. **अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–**

क.	**विवरण**	**अतिथि व्याख्याता**	**अतिथि शिक्षण सहायक**
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम
(स) दैनिक मानदेय			
क.	**विवरण**	**अतिथि कीडाधिकारी /ग्रंथपाल**	**अतिथि कीडा सहायक / अतिथि गंथपाल सहायक**
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/– प्रतिदिन (40000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– प्रतिदिन (30000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता महाविद्यालय/प्राचार्य, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जगदलपुर, जिला–बस्तर, छ.ग.

D:\1-OFFICE FOLDER\3-Data 2013\2024 documents\Atithi Teacher Formet 2024.docx